



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



No. INV-11/2/2021-INV

Date: 26 MAY 2025
26 MAY 2025

To,

All ACC(HQ)/ACC- Incharge of Zonal Offices
All RPFC-I/ Officers-In-Charge, Regional offices.

Subject: Declaration of Rate of Interest for the Employees' Provident Fund Members Account for the year 2024-25- regarding


Sir,

The Ministry of Labour and Employment, Government of India, has conveyed the approval of the Central Government under para 60(1) of Employees' Provident Fund Scheme, 1952 to credit interest @ 8.25 % for the year 2024-25 to the account of each member of the EPF Scheme as per the provisions under Para 60 of EPF Scheme, 1952.

2. You are accordingly, requested to issue necessary instructions to all concerned for crediting the said interest to the members' accounts.

(Authority: - Ministry of Labour and Employment letter no. R-11018/01/2023-SS-II dated 22.05.2025)

Yours' faithfully,



(M. M. Ashraf)

Regional P. F. Commissioner-I (Investment)

Copy to,

1. PPS to Secretary, Ministry of Labour & Employment - for information
2. PPS to AS, Ministry of Labour & Employment - for information
3. PPS to AS&FA, Ministry of Labour & Employment - for information
4. OSD to Central Provident Fund Commissioner - for information
5. PS to Central Provident Fund Commissioner - for information

6. PPS to FA&CAO and CVO - for information
7. All CBT Members.
8. All ACC(HQ), Head Office
9. Director, PDNASS, New Delhi
10. All Zonal Dy. Directors (Vig.)/ All Zonal Audit Officers.
11. Addl. Central P. F. Commissioner (HQ)/ (IS) - for information & necessary action
12. Addl. Central P. F. Commissioner (HQ)/(Exemption) - for information and necessary action
13. Addl. Central P.F. Commissioner (F&AWSU/CAIU) - for information and necessary action
14. Officer-in-Charge, ZTI, Kolkata, Ujjain, Faridabad & Chennai & Sub-ZTI, Shillong
15. All officers in Head office.
16. Central Organisations of Employers - CCI, CII, ASSOCHAM, FI CCI & PHO.
17. Central Organisations of Employees - All Central Trade Unions. w.r.t Letter No.R-11018/ 1/ 2017 -SS-II
18. Director (SS-II), Ministry of Labour & Employment, New Delhi
19. Director (Budget), Ministry of Finance, D/o Economic Affairs, Budget Division, New Delhi.
20. RPFC-I (In-Charge), National Data Centre, for uploading the orders on the EPFO website.


(M. M. Ashraf)

Regional P. F. Commissioner-I (Investment)



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए. ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक II ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या

निवेश-11/2/2021-निवेश/3557

दिनांक: 26.05.2025

सेवा में,

सभी अपर के.भ.नि.आ. (मुख्या.) / अपर के.भ.नि.आ.-आंचलिक कार्यालयों के प्रभारी
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1/ प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय I

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों के लिए वर्ष 2024-2025 के लिए ब्याज दर की घोषणा के संदर्भ में ।

महोदय,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत क.भ.नि. योजना 1952 के पैरा 60 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 8.25% की दर से ब्याज देने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त ब्याज को सदस्यों के खाते में जमा करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निदेश जारी करें।

(प्राधिकार:- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का पत्र संख्या आर-11018/01/2023-एस.एस-II दिनांक 22.05.2025)

भवदीय,

(एम.एम. अशरफ)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (निवेश)

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
4. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी)-सूचनार्थ ।
5. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव - सूचनार्थ ।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
7. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सभी सदस्य ।
8. सभी अपर के.भ.नि.आ. (मुख्या.), मुख्यालय ।
9. निदेशक, पीडीनास, नई दिल्ली ।

10. सभी आंचलिक उप-निदेशक (सतर्कता) / सभी आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी ।
11. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) / (आई.एस.) - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) / (छूट) - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
13. अपर के.भ.नि.आ. (वित्त एवं लेखा / डब्ल्यूएसयू / सीएआईयू) - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, आं.प्र.सं., कोलकाता, उज्जैन, फरीदाबाद एवं चेन्नै तथा उप आं.प्र.सं., शिलांग।
15. मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
16. नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठन - सी.सी.आई., सी.आई.आई. एसोचैम, फिक्की एवं पी.एच.ओ. ।
17. कर्मचारियों के केन्द्रीय संगठन - सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को पत्र सं आर-11018/1/2017-एसएस-॥ के संदर्भ में ।
18. निदेशक (एस.एस.-॥) - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली ।
19. निदेशक (बजट) - वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, बजट प्रभाग, नई दिल्ली ।
20. क्षे.भ.नि.आ.-। (प्रभारी), राष्ट्रीय डाटा केन्द्र- इस आदेश को क.भ.नि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(एम.एम. अशरफ)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-। (निवेश)